... पत्रावली दिनांक

16-9-19 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

16/9/19 पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ द्वारा न्यायालय कार्य स्थगित रखा गया है एवं पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/अवकाश पर हैं। पत्रावली वास्ते आइन्दा कार्यवाही दिनांक 18/9/19 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)
रीडर

18-9-19 पत्रावली प्रस्तुत। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वाद वादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
18-9-19
(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी

1. विक्रम सिंह पुत्र अमरसिंह
2. वीरपालसिंह पुत्र अमरसिह जाति राजपूत निवासीगण जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—वादीगण

बनाम

1. बजरंगसिंह
2. महावीरसिंह
3. मातादीनसिंह पुत्रान लखसिंह
4. मंगेजकंवर पत्नी स्व0 लखसिंह
5. कमलकंवर पत्नी भंवरसिंह
6. ओमवीरसिंह
7. वीरपालसिंह
8. बलबीरसिंह पुत्रान भंवरसिंह
9. महावीरसिंह पुत्र भरतसिंह
10. गोकुलसिंह पुत्र उम्मेदसिंह
11. विक्रमसिंह
12. बलबीरसिंह पुत्रान गिरवरसिंह
13. कमलकंवर पत्नी स्व0 गिरवरसिंह
14. दलीपसिंह पुत्र सुमेरसिंह
15. जसूकंवर पत्नी स्व0 महीपालसिंह
16. चैनसिंह पुत्र इन्द्रसिंह पौत्र चैनसिंह
17. भंवरसिंह पुत्र मूलसिंह
18. सरजीतसिंह
19. सतपालसिंह
20. संतोषसिंह
21. विनोदसिंह
22. गोकुलसिंह पुत्रान सुगनसिंह
23. गजेन्द्रसिंह पुत्र श्रवणसिंह पौत्र सुगनसिह
24. सुगनकंवर पत्नी स्व0 पाबुदानसिंह
25. लादूसिंह पुत्र पाबूदानसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
26. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा जाखल तहसील नवलगढ
27. भूमि धारक (लैण्ड होल्डर) जरिये तहसीलदार नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

—प्रतिवादीगण

दावाः घोषणार्थ दुरूस्ती नक्शा

निर्णय

वकील वादीगण—श्री महेश कुमार नारनोलिया
वकील प्रतिवादीगण नं. 16,19— श्रीमती स्नेहलता वर्मा

निर्णय तिथि 18.09.2019

वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम जाखल की सरहद में स्थित भूमि ख.न. पुराने 212, 213 स्थित थी। उक्त भूमि के दौराने सैटलमेन्ट नये ख.न. 109/0.06, 110/0.04, 111/2.82, 112/0.23 किता 4 कुल रकबा 3.15 है0 डाले गये। उपरोक्त ख.न. की भूमि वादीगण की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है तथा राजस्व ग्राम जाखल की सरहद में स्थित भूमि ख.न. 223, 227, 228 थी। उपरोक्त भूमि के दौराने सेटलमेन्ट बदले जाकर नयो ख.न. 311, 310 डाले गये। इसी प्रकार राजस्व ग्राम जाखल की सरहद में स्थित भूमि ख.न. पुराने 226 थी, उपरोक्त भूमि में दौराने

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

प्लमेन्ट ख.न. बदले जाकर नये ख.न. 312/0.49, 313/0.36, 314/0.45 डाले गये जो प्रतिवादीगण की खातेदारी काश्तकारी की भूमि थी। ग्राम जाखल से एक कटानशुदा रास्ता भूमि ख.न. पुराने 227 व 223 के बीच में से होता हुआ वादीगण की खातेदारी की भूमि ख.न. पुराने 212 की पश्चिमी व उतरी सीमा से सटकर भूमि ख.न. पुराने 226 की पूर्वी सीमा व भूमि ख.न. 224 की दक्षिणी सीमा से होता हुआ आगे खेदडों की ढाणी को जाता है जिसे वाद पत्र के साथ सलग्न नजरी नक्शे में ए से बी बिन्दूआं से लाल रंग से दर्शाया गया है। उक्त रास्ता कटान शुदा है परन्तु भूमि ख.न. पुराने 227, 223 के खातेदार प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 10 ने उक्त रास्ते को नजरी नक्शे मे दर्शाय एसीडीएफबी बिन्दुओ से दर्शाय रास्ते के रूप में डाल दिया। जिसे नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है जो मौके पर भी कायम है परन्तु दौराने भू–प्रबंध कर्मचारियों ने उक्त रास्ते को नक्शा ट्रेस में बिना अधिकार के परिवर्तित कर दिया जबकि भू प्रबंध विभाग को पुराने रिकार्ड की पुनरावर्ती करने का अधिकार था और पुराने रिकार्ड नक्शा ट्रेस में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नही था। भू प्रबंध विभाग के कर्मचारियों को किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से ही पुराने रिकार्ड में किसी प्रकार का कोई फेरबदल कर सकते थे। परन्तु भू प्रबंध विभाग वाले ने किसी सक्षम न्यायालय के आदेश की अभाव में बिना अधिकार के और कानून के खिलाफ जाकर जो रास्ता पुराने ख.न. 227, 223 व 226 वर्तमान ख.न. 311, 312 में था उसे वादीगण की खातेदारी काश्तकारी की भूमि ख.न. पुराने 212, 213 वर्तमान ख.न. 112, 111 की नक्शा सीट में दर्शाकर रास्ते का अंकन कर दिया, जबकि उक्त रास्ता हमेशा से ही प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 10 की खातेदारी की भूमि से होकर रहा है, तथा नक्शा सीट में रास्ते का अंकन रहा है। वादीगण की भूमि के नक्शा सीट में रास्ते का अंकन रहा है। वादीगण की भूमि के नक्शा सीट में गलत रूप से अंकित किये गये रास्ते को नजरी नक्शा सीट में गलत रूप से अंकित कये गये रास्ते को नजरी नक्शे में ई से एफ बिन्दुओ से नीले रंग से दर्शाया गया है। मौके पर उक्त रास्ता वर्तमान ख.न. 311 में ही है। परन्तु नक्शा सीट में उक्त रास्ते को गलत रूप से वादीगण की खातेदारी की नक्शा सीट में दर्शा कर भूमि का गलत नक्शा बना दिया। जिससे वादीगण की खातेदारी की भूमि ख.न. 111, 112 का नक्शा छोटा बन गया तथा प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि ख.न. 311, 312 का नक्शा बडा बना दिया जो कतई गलत किया है। नक्शे में परिवर्तन करने से वादीगण के अधिकारों पर कुठाराघात होता है इसलिये वादीगण की खातेदारी काश्तकारी की भूमि ख.न. 111, 112 की नक्शा सीट में गलत रूप से रास्ते ई से एफ से दर्शाये गये अंकन को हटाया जाकर प्रतिवादीगण की खातेदारी की भूमि ख.न. 311, 312 में से ए से बी रास्ता जो लाल रंग से दर्शाया गया है तथा एसीडीएफबी रास्ता जो हरे रंग से दर्शाया है के अनुसार सीट में अंकन किया जाकर नक्शा सीट को दुरूस्त किया जावे तथा इस आशय की घोषणा की जावे कि जिसके लिये उक्त वाद घोषणार्थ की जावे जिसके लिये उक्त वाद बाबत घोषणार्थ व दुरूस्ती नक्शा का पेश करना आवश्यक हुआ। वादीगण की माता केशरकंवर की मृत्यु हो चुकी है। गलत नक्शा कायम होने से वादीगण अपनी खातेदारी की भूमि से वंचित होने और वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होता है, तथा भविष्य में विवाद बना रहेगा और वादीगण अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित हो जायेगा। गलत नक्शा कायम होने से वादीगण के वैद्यानिक अधिकार पूरी तरह से प्रभावित होते हैं और वादीगण को गलत नक्शा दुरूस्त करवाने का पूरा अधिकार प्राप्त है। वादीगण को गलत नक्शा कायम होने बाबत कोई जानकारी नही थी परन्तु दिनांक 16.06.2016 को प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 10 ने वादीगण को धमकी दी कि रास्ता मौके पर हमारी भूमि में से है जबकि शीट में आपकी भूमि में अंकित है, इसलिये रास्ते को आपकी भूमि में से निकालेंगे हालांकि मौके पर सडक है प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 10 सडक को कानूनन तोडकर रास्ता वादीगण की भूमि में कायम नही कर सकते हैं परन्तु नक्शा सीट में कानूनन दुरूस्ती होना आवश्यक व न्यायोचित है। राजस्व रिकार्ड की नकल लेने की जानकारी होने पर उक्त वाद पेश है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वाद बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे कि राजस्व ग्राम जाखल में स्थित वादीगण की खातेदारी भूमि ख.न. 111, 112 की नक्शा में जिसे नजरी नक्शे दर्शाये गये ई से एफ रास्ता जिसे नीले रंग से दर्शाया है, के रास्ते के अंकन को हटाया जाकर प्रतिवादीगण की भूमि ख.न. 312, 311 की नक्शा सीट में नजरी नक्शा सीट में नजरी नक्शे में दर्शाये ए से बी रास्ता जिसे नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया है, अथवा एसीडीएफबी रास्तो जिसे हरे रंग से दर्शाये के अनुसार अंकन किया जाकर पुराने नक्शा संवत 1936–37 के अनुसार किया जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 8, 11 से 27 के बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर अनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 09 व 10 की ओर से वकील श्री चन्द्रकान्त शर्मा ने वकालतनामा पेश किया

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

न जवाब पेश नहीं किया गया तथा तत्पश्चात अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध भी एक पक्षीय ही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण नं. 16 व 19 की और से श्रीमती स्नेहलता वर्मा का तनामा व इकबालिया जबाब दावा पेश हुआ। अतः शहादत वादीगण ली जाकर बहस वकील गण सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत जरिये पत्रांक भू.अ./19/1774 दिनांक 21.08.19 के अनुसार मौका रिपोर्ट में वर्णित किया गया है कि वर्तमान में ख.न. 92 रास्ता कटान शुदा नक्शा अनुसार ख.न. 114 के उतर दिशा सीमा के सहारे व ख.न. 112, 111 के पश्चिम दिशा सीमा के सहारे से होकर गुजरता है। जो सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा डामरीकरण सडक बनाया हुआ है। पुराना भू.प्रबंध संवत 1993 का नक्शा में रास्ता पुराने ख.न. 227 व 223 के मध्य में बताया गया है जो नजरी नक्शे में बिन्दू सी से दर्शाया गया है। गत ख.न. 226 के नये ख.न. 312, 313, 314 बने हैं। ख.न. 312 की पूर्वी सीमा के सहारे जो रास्ता पुराने नक्शे में बताया गया है नजरी नक्शे में बिन्दू सं0 ए से दर्शाया गया है। बिन्दू संख्या ए से दर्शाई गई जगह मातदीनसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह राजपूत द्वारा 17X4 भूमि पर पक्का मकान बनाकर निवास कर रहा है। मौके पर आवागमन निर्माणशुदा मकान के पूर्वी दिशा से होकर चालू है। बिन्दू सं0 सी को पुराने रास्ते से दर्शाया गया है तथा पुराने रास्ते में बिन्दू सं0 ए की जगह पुख्ता मकान बने हुये हैं। बिन्दू सं0 बी से वर्तमान नक्शे में वर्तमान रास्ता डामरीकरण सडक चालू होना अंकित किया गया है।

वादी द्वारा एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि तहसीदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में बिन्दू सं0 ए के अनुसार 17 फुट पुख्ता मकान पुराने रास्ते में दर्शाये गये वहां मौके पर दिवार व सडक रास्ते के मध्य 8 फुट खाली जगह मौके पर है। उसके अनुसार रास्ता कायम किया जावे तथा 17 फुट निर्माण के रास्ते में पुराना रास्ता निकाला जाता है तो वादी की ख.न. 111 में रास्ता निकालने में कोई एतराज नही है जहां मकान स्थित है। जांच रिपोर्ट के अनुसार ख.न. 47 में बिन्दू बी जगह पर वर्तमान नक्शे मे रास्ता कटान में है लेकिन मौके पर नही है। वहां पर पुराने रास्ते के अनुसार रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया गया।

उपरोक्त रिकार्ड व मौका रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार के अनुसार प्रश्नगत रास्ते में निर्माण होना अंकित किया गया जिसे वादी स्वंय द्वारा स्वीकार किया गया है। निर्माण सैटलमेन्ट से पहले का है या बाद में हुआ इस संबंध में कोई प्रमाण दस्तावेज आदि वकील वादी द्वारा पेश नही किया है। सैटमेन्ट विभाग द्वारा रिकार्ड को अंतिम रूप देने से पूर्व सभी हितबद्ध व्यक्तियों के पर्चा नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता था यदि वादी को किसी प्रकार की आपति थी तो उसी वक्त भूप्रबंध विभाग के समक्ष आपति पेश करनी चाहिये थी। अतः वाद वादी खारीज योग्य है।

आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादी सिद्ध नही होने से खारीज किया जिाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 18.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18.9.19

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner